संख्या-16/2017/3305/60-1-17-1/13(148)/17

प्रेषक,

रेणुका कुमार,
प्रमुख सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

1- समस्त मण्डलायुक्त,
उत्तर प्रदेश।

2- समस्त जिलाधिकारी,
उत्तर प्रदेश।

महिला एवं बाल विकास अनुभाग-1 **लखनऊ: दिनांक: 15 नवम्बर, 2017**

विषय: महिला एवं बाल अधिकार मंच के गठन तथा योजना के प्रभावी क्रियान्वन के संबंध में आवश्यक दिशा-निर्देश।

महोदय/महोदया,

राष्ट्रीय महिला सशक्तीकरण मिशन के अंतर्गत राज्य में राज्य महिला सशक्तीकरण मिशन का गठन किया गया है एवं बालिकाओं एवं बालकों की देखरेख एवं संरक्षण हेतु किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम, 2015 के अंतर्गत समेकित बाल संरक्षण योजना के द्वारा महिलाओं, बालिकाओं एवं बालकों के चतुर्दिक विकास, संरक्षण एवं उनको विकास की मुख्य धारा में जोड़ने का कार्य किया जा रहा है। प्रदेश की अधिकांश आबादी गांवों में निवास करती है। महिलाओं, बालिकाओं एवं बालकों के कल्याण के लिये संचालित की जा रही योजनाओं तथा उनके अधिकारों से संबंधित प्राविधानों की जानकारी समय से उपलब्ध कराने हेतु ग्राम पंचायत स्तर पर महिला समाख्या, उत्तर प्रदेश के माध्यम से महिला एवं बाल अधिकार मंच का गठन किये जाने का निर्णय लिया गया है।

उद्देश्य:-

1. घरेलू हिंसा से पीड़ित महिलाओं, बालिकाओं एवं बालकों को मानसिक एवं कानूनी आश्रय प्रदान करना।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

2. बढ़ते हुये लिंगानुपात को कम करने के लिये राज्य/केन्द्र सरकार द्वारा संचालित योजनाओं की पहुंच आमजन तक सुनिश्चित करना।

3. कन्या भ्रूण हत्या को रोकने हेतु समाज में जन जागरूकता पैदा करना।

4. समाज में व्याप्त विभिन्न कुरीतियों यथा- बाल विवाह, मानव तस्करी, बाल मजदूरी, भिक्षावृत्ति आदि को समाप्त करने के लिये आवश्यक कदम उठाना एवं विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन करना।

5. समुदाय में लिंग आधारित भेदभाव को समाप्त करना।

6. महिलाओं एवं बच्चों के लिए अनुकूल, सुरक्षित एवं संरक्षित वातावरण का निर्माण करना।

7. महिलाओं एवं बच्चों को उनके अधिकार, आवश्यक सुविधायें व समान अवसर बिना किसी भेदभाव के उपलब्ध कराने में सहयोग करना।

8. महिलाओं एवं बच्चों के अधिकारों के हनन संबंधी कुप्रथाओं में हस्तक्षेप करना।

9. समाज में व्याप्त विभिन्न कुप्रथाओं के निवारण हेतु व्यावहारिक एवं कानूनी हस्तक्षेप करना।

10. आमजन में महिलाओं एवं बच्चों के प्रति संवेदनशील, संगठनात्मक सोंच तथा भेदभाव रहित भावना विकसित करना।

महिलाओं के सशक्तीकरण तथा बाल सरंक्षण के मुद्दों को गति देने तथा उन्हें अपनी समस्याएं व्यक्त करने के लिए एक संवैधानिक, कानूनी, बुनियादी ढांचा प्रदान करने एवं सामुदायिक स्तर पर क्षमतावृद्धि हेतु "महिला एवं बाल अधिकार मंच'' का

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

गठन प्रदेश की समस्त ग्राम पंचायतों में किया जायेगा, जिसे ''हक से'' नामक शीर्षक से सम्बोधित किया जायेगा।

प्रथम चरण में यूनीसेफ के सहयोग से पायलेट प्रोजेक्ट के रूप में प्रदेश के 07 जनपद यथा-बहराइच, बलरामपुर, श्रावस्ती, गोरखपुर, जौनपुर, इलाहाबाद और वाराणसी में तथा वर्ष 2018-19 में सहारनपुर, मथुरा, प्रतापगढ़, मऊ, बुलन्दशहर, मुजफ्फरनगर, शामली, औरेया, चित्रकूट, कौशाम्बी, सीतापुर एवं चन्दौली में महिला एवं बाल अधिकार मंच का गठन यूनिसेफ के सहयोग से किया जायेगा। महिला एवं बाल अधिकार मंच का गठन एवं संचालन संबंधी समस्त कार्य महिला समाख्या, उत्तर प्रदेश द्वारा किया जायेगा।

1- महिला एवं बाल अधिकार मंच के प्रमुख कार्य:-

(1) परियोजना के संचालन व सफल क्रियान्वयन हेतु जनपदवार कार्य योजना तैयार करना।

(2) विभिन्न विभागों, स्वैच्छिक संगठनों, ग्राम प्रधानों एवं आम जनता को महिलाओं की सुरक्षा व मौलिक अधिकारों से जुड़े विषयों, जैसे- घरेलू हिंसा, घटते हुए लिंगानुपात तथा ऐसी कुरीतियाँ जो महिलाओं और बच्चों के अधिकारों का हनन करती हैं- जैसे बाल विवाह, मानव तस्करी, बाल मजदूरी आदि विषयों पर प्रभावी हस्तक्षेप करना।

(3) समुदाय में लिंग आधारित भेदभाव को समाप्त करना।

(4) महिलाओं और बच्चों के लिए सम्मानित, सुरक्षित व सकारात्मक वातावरण का निर्माणकरना, जहां उनको अधिकार, सुविधाएं व अवसर बिना किसी भेदभाव के प्राप्त हों।

(5) बाल विवाह की रोकथाम।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

(6) बाल विवाह, बच्चों के साथ होने वाली हिंसा, महिलाओं के साथ होने वाली हिंसाव समाजिक भेदभाव के दुष्परिणामों को उजागर करना और निवारण करना।

(7) सघन रूप से उक्त मुद्दों पर समुदाय की सहभागिता सुनिश्चित करना।

2- महिला एवं बाल अधिकार मंच के क्रियान्वन हेतु रणनीति:-

(1) राज्यपरामर्शएवं अनुश्रवण समिति का गठन (Advisory and monitoring committee)

राज्य स्तर पर राज्य परामर्श एवं अनुश्रवण समिति निम्नवत् होगी। यह समिति महिला एवं बाल अधिकार मंच के सुचारू संचालन हेतु मुख्यतः परामर्शी समिति होगीः-

(1)	प्रमुख सचिव, महिला एवं बाल विकास विभाग, उ0प्र0 शासन	- अध्यक्ष
(2)	निदेशक, महिला कल्याण, उत्तर प्रदेश	- सदस्य
(3)	राज्य परियोजना निदेशक, महिला समाख्या, उत्तर प्रदेश	- सदस्य
(4)	यूनीसेफ, उत्तर प्रदेश द्वारा नामित दो प्रतिनिधि	- सदस्य

(2) राज्य परामर्श एवं अनुश्रवण समिति के कार्य -

1. योजना के सफल क्रियान्वन हेतु त्रैमासिक समीक्षा करना।

2. महिला एवं बाल अधिकार मंच परियोजना के लिए राज्य स्तरीय योजना (स्टेट एक्शन प्लान) तथा जिला स्तरीय कार्य योजना (जिला एक्शन प्लान) की स्वीकृतियॉ प्रदान करना।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

3. महिलाओं बच्चों के सुरक्षा के मुददे पर नीतिगत हस्तक्षेप।

4. योजना के क्रियान्वन हेतु विभिन्न सरकारी विभागों के मध्य समन्वय (कन्वर्जेन्स) स्थापित करने हेतु दिशा निर्देश निर्गत करना।

5. योजना के क्रियान्वन संबंधित गतिविधियों की मासिक समीक्षा करना तथा आवश्यकतानुसार क्षमतावर्धन हेतु मार्ग दर्शन करना।

3- महिला एवं बाल अधिकार मंच का ढांचा (ब्लाक स्तरीय) :-

महिला एवं बाल अधिकार मंच के न्यूनतम 15 सदस्यों की उपस्थिति में लिए गये निर्णय ही मान्य होंगें।

1.	खण्ड विकास अधिकारी	- अध्यक्ष
2.	महिला समाख्या क्षेत्रीय कार्यकर्ता (जूनियर सन्दर्भ व्यक्ति)	- सदस्य सचिव
3.	बाल विकास परियोजना अधिकारी	- सदस्य
4.	अधीक्षक, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र	- सदस्य
5.	ब्लाक मुख्यालय पर स्थित पुलिस थाना के थानाध्यक्ष	- सदस्य
6.	बी0आर0सी0 समन्वयक	- सदस्य
7.	181 महिला हेल्पलाइन प्रतिनिधि	- सदस्य
8.	ब्लाक बाल संरक्षण समिति का सक्रिय सदस्य	- सदस्य
9.	विद्यालय प्रबंधन समिति का एक सक्रिय सदस्य	- सदस्य
10.	महिला समाख्या की महिला संघ की प्रभावशाली दो सदस्य	- सदस्य

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

11. महिला समाख्या महासंघ के दो सक्रिय सदस्य - सदस्य

12. नारी अदालत के एक सक्रिय सदस्य - सदस्य

13. नारी संजीवनी केन्द्र की एक सक्रिय सदस्य - सदस्य

14. एक प्रभावशाली सेवानिवृत्त अधिकारी/कर्मचारी - सदस्य

15. एक वरिष्ठ एवं प्रभावशाली महिला - सदस्य

16. एक वरिष्ठ एवं प्रभावशाली पुरूष - सदस्य

17. एक विशेष सक्रिय किशोर - सदस्य

18. एक विशेष सक्रिय किशोरी - सदस्य

4- महिला एवं बाल अधिकार मंच का ढांचा (ग्राम पंचायत स्तरीय) :-

महिला एवं बाल अधिकार मंच मेंन्यूनतम 15 सदस्यों की उपस्थिति में लिए गये निर्णय ही मान्य होंगें।

1. ग्राम प्रधान - अध्यक्ष

2. महिला समाख्या क्षेत्रीय कार्यकर्ता (सहयोगिनी) - सदस्य सचिव

3. ग्राम पंचायत अधिकारी - सदस्य

4. प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र प्रतिनिधि - सदस्य

5. प्राथमिक/उच्च प्राथमिक विद्यालय का एक अध्यापक - सदस्य

6. ग्राम पंचायत की एक ए0एन0एम0 - सदस्य

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

7. ग्राम पंचायत की एक सक्रिय आशा बहू - सदस्य

8. ग्राम पंचायत की एक आंगनवाडी कार्यकत्री - सदस्य

9. ग्राम बाल संरक्षण समिति का सक्रिय सदस्य - सदस्य

10. महिला समाख्या की महिला संघ की प्रभावशाली दो सदस्य - सदस्य

11. महिला समाख्या महासंघ के दो सक्रिय सदस्य - सदस्य

12. नारी अदालत के एक सक्रियसदस्य - सदस्य

13. नारी संजीवनी केन्द्र की एकसक्रिय सदस्य - सदस्य

14. ग्राम पंचायत का एक सेवानिवृत्त अधिकारी/कर्मचारी - सदस्य

15. विद्यालय प्रबंधन समिति काएकसदस्य - सदस्य

16. ग्राम पंचायत की एक वरिष्ठ एवं प्रभावशाली महिला - सदस्य

17. ग्राम पंचायत के एक वरिष्ठ एवं प्रभावशाली पुरूष - सदस्य

18. ग्राम पंचायत का एक विशेष सक्रिय किशोर - सदस्य

19. ग्राम पंचायत की एक विशेष सक्रिय किशोरी - सदस्य

5- राज्य स्तर पर महिला समाख्या उत्तर प्रदेश द्वारा योजना के क्रियान्वन हेतु किये जाने वाले कार्य :-

राज्य परियोजना निदेशक, महिला समाख्या, उत्तर प्रदेश महिला एवं बाल अधिकार मंच हेतु राज्य स्तर पर मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सी0ई0ओ0) होंगी।

(1) मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सी0ई0ओ0) के कार्य :-

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

(1) उक्त योजना के संचालन एवं पर्यवेक्षण हेतु, मुख्य कार्यकारी अधिकारी द्वारा सभी 07 जनपदों से सम्बंधित प्रगति विवरण तथा आंकड़ों का संकलन, प्रस्तुतीकरण, राज्य परामर्श एवं अनुश्रवण समिति की त्रैमासिक समीक्षा बैठकों में किया जायेगा।

(2) राज्य परियोजना निदेशक, महिला समाख्या, मुख्य कार्यकारी अधिकारी के द्वारा योजना की प्रगति रिपोर्ट समय से महिला एवं बाल विकास विभाग, उ0प्र0 तथा यूनीसेफ को भेजी जायेगी।

(3) राज्य परियोजना निदेशक, महिला समाख्या द्वारा योजना के क्रियान्वयन हेतु राज्य सन्दर्भ व्यक्ति समन्वयक के रूप में नामित किया जायेगा। राज्य सन्दर्भ व्यक्ति योजना के संचालन हेतु जनपदों से आंकड़ों का संकलन मासिक एवं त्रैमासिक रिपोर्ट हेतु प्रपत्र तैयार करके राज्य परियोजना निदेशक, महिला समाख्या, उत्तर प्रदेश को प्रस्तुत करेगा।

(4) राज्य परियोजना निदेशक, महिला समाख्या/मुख्य कार्यकारी अधिकारी द्वारा योजना से संबंधित सभी गतिविधियों का महिला एवं बाल विकास विभाग के सक्षम अधिकारी से अनुमोदन प्राप्त किया जायेगा। महिला एवं बाल विकास विभाग दिए गए दिशा निर्देशों के अनुरूप योजना का क्रियान्वयन जिला तथा पंचायत स्तर पर किया जायेगा।

(5) राज्य स्तर पर व्हाट्स ऐप ग्रुप, ई-मेल, फेसबुक एवं ट्वीटरपर एकाउंट सृजित करना एवं उसके माध्यम से सभी संबंधित राज्य, जिला, विकास खण्ड एवं ग्राम स्तरीय सदस्यों को शामिल करते हुये शासकीय योजनाओं, कार्यों एवं पीड़ित व्यक्तियों को आवश्यक सहयोग एवं सहायता उपलब्ध कराना।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

(6) महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा महिलाओं एवं बच्चों के कल्याण हेतु चलायी जा रही विभिन्न योजनाओं की जानकारी ग्राम पंचायत के निवासियों को उपलब्ध कराना एवं उनको उपरोक्त योजनाओं से लाभान्वित कराना।

(7) महिला एवं बाल अधिकार मंच में धनराशि का भुगतान डी0बी0टी0 के माध्यम से लाभार्थी के खातों में सीधे किया जायेगा, जिसमें मानदेय का भुगतान भी शामिल होगा।

(8) महिला एवं बाल अधिकार मंच के लेखे का वार्षिक लेखा परीक्षण राज्य परियोजना निदेशक/मुख्य कार्यकारी अधिकारी द्वारा प्रत्येक वर्ष अनिवार्य रूप से कराया जायेगा तथा उसकी एक प्रति निदेशालय, महिला कल्याण, उत्तर प्रदेश तथा महिला एवं बाल विकास विभाग, उत्तर प्रदेश शासन को भी उपलब्ध करायी जायेगी।

(2) जिला स्तरीय मुख्य कार्यकारी अधिकारी :-

(1) महिला एवं बाल अधिकार मंच योजना के क्रियान्वयन के पर्यवेक्षण एवं संचालन हेतु जिला कार्यक्रम समन्वयक महिला समाख्या को जनपद स्तरीय मुख्य कार्यकारी अधिकारी नामित किया जायेगा। जिसका मुख्य कार्य उक्त योजना के सफल क्रियान्वयन हेतु जनपद स्तर पर जिलाधिकारी तथा जिला परिवीक्षा अधिकारी के साथ समन्वय स्थापित करना तथा योजना के अंतर्गत होने वाली गतिविधियों में सहयोग प्राप्त करना होगा।

(2) जिला स्तरीयमुख्य कार्यकारी अधिकारी के कार्य:-

1. योजना के पर्यवेक्षण हेतु जिला कार्यक्रम समन्वयक सभी संबंधित सरकारी विभागों के मध्य कन्वर्जन्स एवं समन्वय स्थापित करेगीं।

2. उक्त योजना के क्रियान्वयन की अनावरत समीक्षा करेगीं।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

3. जनपदवार कार्य योजना बनाने, संबंधित जिलों से आंकड़े एकत्रित करने, योजना के अद्यतन स्थिति की प्रगति रिपोर्ट तैयार करने में जिला संदर्भ व्यक्ति (जिला रिसोर्स पर्सन) को पर्याप्त सहयोग देना ।

4. योजना के क्रियान्वयन हेतु महिला समाख्या राज्य कार्यालय की संस्तुतियों के अनुरूप विभिन्न मदों की योजना की गतिविधियों के लिए वित्तीय आवंटन करना।

5. जिला कार्यक्रम समन्वयक द्वारा जिला स्तर पर बैठकों को आयोजित करेगा।

6. बाल विवाह की रोकथाम हेतु जागरूकता अभियान से सभी हितधारियों को जोड़ना एवं कार्यक्रमों की अद्यतन स्थिति से महिला समाख्या राज्य कार्यालय को अवगत कराना।

7. मंच के गठन हेतु पंचायत स्तर पर नारी अदालत, नारी संजीवनी केन्द्र, बाल संरक्षण समिति, आशा ज्योति केन्द्र आदि के साथ समन्वय स्थापित करना।

8. क्रियाशील महिला संघों एवं ग्राम पंचायतों के प्रतिनिधियों के साथ मिलकर योजना से संबंधित गतिविधियों को क्रियाशील करना।

9. बाल सरक्षण एंव महिला सुरक्षा से संबंधित योजनाऐं, जैसे- 181 महिला हेल्प लाइन, आपकी सखी-आशा ज्योति केन्द्र, वन स्टाप सेन्टर, परिवार परामर्श केन्द्र, चाइल्ड लाइन आदि के साथ सामंजस्य व समन्वय बनाना।

10. जनपद स्तर पर व्हाट्स ऐप ग्रुप बनाना तथा सभी संबंधित सदस्यों को शामिल करना एवं उक्त ग्रुप के माध्यम से शासकीय योजनाओं, कार्यों एवं पीड़ित व्यक्तियों को आवश्यक सहयोग एवं सहायता उपलब्ध कराना।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

11. महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा महिलाओं एवं बच्चों के कल्याण हेतु चलायी जा रही विभिन्न योजनाओं की जानकारी ग्राम पंचायत के निवासियों को उपलब्ध कराना एवं उनको उपरोक्त योजनाओं से लाभान्वित कराना।

(3) ग्राम पंचायत स्तरीय मुख्य कार्यकारी अधिकारी :-

महिला समाख्या की सहयोगिनी द्वारा ग्राम पंचायत स्तर पर महिला एवं बाल अधिकार मंच के गठन एवं संचालन में मुख्य कार्यकारी अधिकारी की भूमिका अदा की जायेगी।

1. महिला एवं बाल अधिकार मंच की ग्राम पंचायत स्तरीय समिति का गठन कराना।
2. विभिन्न समितियों की बैठकों का आयोजन कराना।
3. आयोजित बैठकों का संचालन एवं रिपोर्टिंग में सक्रिय भूमिका का निर्वहन करना।
4. विभिन्न विभागों, कार्यक्रमों, योजनाओं आदि से समन्वय स्थापित करना।
5. ग्राम पंचायत स्तर पर महिला एवं बाल अधिकार मंच के सदस्यों का चयन व समुदाय में जागरूकता पैदा करना।
6. ग्राम पंचायत में जरूरतमंद महिलाओं, बालिकाओं एवं बालकों को महिला अधिकार मंच के माध्यम से आवश्यक सहयोग तथा विभिन्न योजनाओं का लाभ उपलब्ध कराने में सहयोग प्रदान करना।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

7. ग्राम पंचायत स्तर पर महिला एवं बाल अधिकार मंच द्वारा कराये गये कार्यों का विवरण सुरक्षित रखना एवं मांगे जाने पर सक्षम अधिकारी को प्रस्तुत करना।

8. ग्राम पंचायत स्तर पर खर्च की गयी धनराशि का पूरा लेखा-जोखा रखना एवं ब्लाक स्तर, जिला स्तर तथा राज्य स्तर पर मांगे जाने पर उपलब्ध कराना।

9. विकास खण्ड एवं ग्राम पंचायत स्तर पर आयोजित सभी बैठकों एवं ग्राम पंचायत स्तर पर आयोजित कार्यक्रमों, विशेष रूप से लाभान्वित किये गये व्यक्तियों की फोटोग्राफी, वीडियोग्राफी कराकर उसकी रिपोर्ट राज्य स्तर पर महिला समाख्या को उपलब्ध करायी जायेगी। उक्त रिपोर्ट व्हाट्स ऐप ग्रुप, ई-मेल, फेसबुक एवं ट्वीटर के माध्यम से भी उपलब्ध करायी जा सकती है।

10. ग्राम पंचायत स्तर पर व्हाट्स ऐप ग्रुप बनाना तथा सभी संबंधित सदस्यों को शामिल करना एवं उक्त ग्रुप के माध्यम से शासकीय योजनाओं, कार्यों एवं पीड़ित व्यक्तियों को आवश्यक सहयोग एवं सहायता उपलब्ध कराना।

11. महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा महिलाओं एवं बच्चों के कल्याण हेतु चलायी जा रही विभिन्न योजनाओं की जानकारी ग्राम पंचायत के निवासियों को उपलब्ध कराना एवं उनको उपरोक्त योजनाओं से लाभान्वित कराना।

6- महिला एवं बाल अधिकार मंच की भूमिका :-

ग्राम पंचायत स्तर पर महिलाओं के सशक्तीकरण और बच्चों की सुरक्षा व उनके अधिकारों के प्रति उनमें जागरूकता बढ़ाने हेतु सैद्धान्तिक विचारधारा पर आधारित अधिकारों के अवसर उपलब्ध कराने हेतु तथा महिलाओं और बच्चों की हिंसा से मुक्ति व बाल विवाह की रोकथाम हेतु महिला एवं बाल अधिकार मंच का

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

गठन किया जायेगा। महिला एवं बाल अधिकार मंच की प्रत्येक माह ग्राम पंचायत स्तर पर एक बैठक अवश्य आहूत की जायेगी।

7- महिला एवं बाल अधिकार मंच के प्रमुख कार्य :-

समुदाय में बच्चों व महिलाओं के मुद्दों के प्रति संवेदनशीलता लाने तथा उन्हें एक मूल रूप से संरक्षित ढांचा प्रदान करने हेतु मंच की कार्य प्रणाली निम्नलिखित श्रृंखलाओं पर आधारित होगी।

1. संवेदीकरण द्वारा समाज में सभी वर्गो को संगठित करके सामुदायिक गतिशीलता लाना।

2. यह मंच घरेलू हिंसा, घटते हुए लिंगानुपात तथा ऐसी कुरीतियाँ जो महिलायों और बच्चों के अधिकारों का हनन करती हैं- जैसे बाल विवाह, मानव तस्करी, बाल मजदूरी इत्यादि पर हस्तक्षेप करेगा, समुदाय में लिंग आधारित भेदभाव समाप्त करना तथा ऐसे अनुकूल, सम्मानित व सुरक्षित वातावरण का निर्माण करना, जहां महिलाओं और बच्चों को अधिकार, सुविधाएं व अवसर बिना किसी भेदभाव के प्राप्त हो, तथा बाल विवाह की रोकथाम व इसके दुष्परिणामों को उजागर करेगा।

3. वर्तमान में व्याप्त कुप्रथाओं के निवारण हेतु व्यवहारिक व कानूनी हस्तक्षेप करना।

4. जागरूकता एवं साक्षर अभियान द्वारा रीति-रिवाजों और परम्पराओं में बदलाव लाने के लिए प्रयास करना।

5. महिलाओं और बच्चों के प्रति संवेदनशील संगठनात्मक सोच तथा भेदभाव रहित संगठन का निर्माण करना।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

6. यह मंच न केवल स्थानीय स्तर पर एक दबाव समूह के रूप में कार्यशील होगा अपितु सरकारी योजनाओं के प्रचार-प्रसार और सही लाभार्थी तक इन योजनाओं का लाभ पहुंचे यह भी सुनिश्चत करेगा। (लास्ट माईल कनेक्टिविटी)

8- महिला समाख्या द्वारा संचालित विभिन्न समितियों/कार्यक्रमों से समन्वय :-

यह मंच बच्चों और महिलाओं की सहभागिता को सुनिश्चित करने हेतु उनका उत्साहवर्धन करेगा।

1. महिला समाख्या के अंतर्गत नारी अदालत कार्यक्रम संचालित किया जा रहा है, जिसके अंतर्गत स्थानीय मुद्दों को सुलझाने का कार्य, महिलाओं एवं बच्चों से संबंधित मुद्दे, जैसे- घरेलू हिंसा, बाल विवाह, बाल श्रम आदि पर कानूनी हस्तक्षेप करने संबंधी कार्य आदि सम्पादित किये जा रहे हैं। नारी अदालत के द्वारा किये जा रहे उपरोक्त विषयों पर महिला एवं बाल अधिकार मंच में भी सक्रिय सहयोग प्राप्त किया जायेगा, जिसमंे महिलाओं एवं बच्चे, जो किसी प्रकार की हिंसा से पीड़ित हैं, उनको काउन्सिलिंग प्रदान करने का कार्य भी किया जायेगा तथा आवश्यकता पड़ने पर 181 महिला हेल्पलाईन, आपक सखी- आशा ज्योति केन्द्र एवं रेस्क्यू वैन का भी उपयोग किया जायेगा।

2. महिला समाख्या द्वारा महिलाओं एवं बच्चों के स्वास्थ्य के दृष्टिगत परपंरागत जड़ी-बूटियों, दवाओं, टीकाकरण द्वारा उनके शारीरिक तथा मानसिक स्वास्थ्य के विकास के लिए कार्य किया जा रहा है। महिला एवं बाल अधिकार मंच द्वारा नारी संजीवनी केन्द्रों द्वारा संचालित कार्यक्रमों का लाभ ग्राम स्तर तक महिलाओं एवं बच्चों को उपलब्ध कराया जायेगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

3. महिला समाख्या की ब्लाक स्तरीय महासंघ की सशक्त व प्रभावशाली महिलाओं द्वारा मंच को संगठित करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा की जायेगी। महिला एवं बाल अधिकार मंच, महिला समाख्या के ब्लाक स्तरीय महासंघ की सदस्यों के माध्यम से महिलाओं और बच्चों के मुद्दों को सुलझाने हेतु सक्रिय सहयोग प्रदान करते हुये विभिन्न विभागों के माध्यम से योजनाओं का लाभ जरूरतमंद को उपलब्ध करायेगा।

9- यूनीसेफ द्वारा प्रदान किया जाने वाला सहयोग:-

1. महिला एवं बाल अधिकार मंच के गठन एवं सफल संचालन हेतु आवश्यक वित्तीय व्यवस्था की जायेगी।

2. महिला एवं बाल अधिकार मंच के सफल एवं सुदृढ़ संचालन में तकनीकी सहयोग प्रदान किया जायेगा।

3. महिला एवं बाल अधिकार मंच की कार्य योजना तैयार करने में राज्य स्तरीय परामर्शी एवं अनुश्रवण समिति को सहयोग प्रदान किया जायेगा।

भवदीया,

(रेणुका कुमार)
प्रमुख सचिव

संख्या- /60-1-2017, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- प्रमुख सचिव, उत्तर प्रदेश शासन, गृह/स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण/बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार/ग्राम्य विकास/पंचायती राज/माध्यमिक शिक्षा/बेसिक शिक्षा विभाग।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

2- निदेशक, महिला कल्याण, उ0प्र0।

3- समस्त वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक, उत्तर प्रदेश।

4- समस्त मुख्य विकास अधिकारी, उत्तर प्रदेश।

5- राज्य प्रमुख, यूनीसेफ, उत्तर प्रदेश।

6- राज्य परियोजना निदेशक, महिला समाख्या, उत्तर प्रदेश।

7- समस्त उप मुख्य परिवीक्षाधिकारी/जिला परिवीक्षा अधिकारी, उ0प्र0।

8- समस्त जिला पंचायत राज अधिकारी, उत्तर प्रदेश।

9- समस्त मुख्य चिकित्साधिकारी, उत्तर प्रदेश।

10- गार्ड फाईल।

11- वेबसाइट पर अपलोड हेतु।

आज्ञा से,

(अजय कुमार सिंह)
संयुक्त सचिव

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।